सं. 1/1/2010-स्था.(वेतन-I)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नई दिल्ली, 06.Dec 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः 100/120 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को प्रदान की गयी अग्रिम वेतनवृद्धियों के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07.12.2009 के इस विभाग के का. ज्ञा. 18/44/88-वेतन-I का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें यह प्रावधान है कि 100/120 शब्ध प्रति मिनट की गति से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को प्रदान की गयी अग्रिम वेतनवृद्धियों को सभी प्रयोजनों से वेतन माना जाए ।

2. सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन की अवधारणा शुरू की गई है । चूँकि इस समय वेतनवृद्धियों की कोई नियत दरें नहीं हैं, इसलिए, जिस रीति से अग्रिम वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) का अभिकलन किया जाना है, उस पर व्यय विभाग से परामर्श कर विचार किया गया है । दिनांक 1.1.2006 के पश्चात् 100/120 श.प्र.मि. की गति से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को अग्रिम वेतनवृद्धियों के अनुदान को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा :-

क) इस विभाग के दिनांक 07.12.2009 के का.ज्ञा. सं. 18/44/89-स्था.(वेतन-I) में समाविष्ट अनुदेश के अनुसार, दिनांक 04.10.1975 के व्यय विभाग के का.ज्ञा. के संदर्भ में 100/120 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धियों को सभी प्रयोजनार्थ वेतन माना जाएगा तथा पिछले मामलों को भी तदनुसार विनियमित किया जाएगा । अतएव इन वेतनवृद्धियों को उन अधिकारियों के लिए संशोधित वेतन में निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाना था जो संशोधन-पूर्व वेतन में ऐसी वेतनवृद्धियाँ प्राप्त कर रहे थे । ऐसे मामलों में अब अग्रिम वेतनवृद्धियाँ पृथक घटक रूप में और जारी नहीं रहेगी ।

ख) सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अग्रिम वेतनवृद्धियाँ दिए जाने के लिए योग्य बनने वाले व्यक्तियों के संबंध में, अग्रिम वेतनवृद्धि की गणना परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि को मूल वेतन के 3% की दर से वेतनवृद्धियाँ प्रदान करते हुए की जाएगी । दो अग्रिम वेतनवृद्धियों की गणना परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि को मूल वेतन के 3% की दर से दो वेदनवृद्धियाँ प्रदान करते हुए की जाएगी । ऐसी अग्रिम वेतनवृद्धियों पर (ग) के अनुसार ध्यान में रखे जाने तक इस वेतनवृद्धि की राशि को मूल वेतन (वेतन बैंड+ग्रेड वेतन में वेतन) के अतिरिक्त पृथक घटक माना जाएगा ।

ग) पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण अथवा एसीपी/एमएसीपी प्रदान किए जाने पर उच्चतर वेतनमान में रखे जाने पर अथवा वेतमान आदि के संशोधन के कारण वेतन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अग्रिम वेतनवृद्धियों पर विचार किये जाने पर अग्रिम वेतनवृद्धियाँ पृथक घटक के रूप में जारी नहीं रहेगी क्योंकि इसका मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा ।

3. जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, इन आदेशों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के पश्चात् जारी किया जाएगा ।

(मुकेश चतुर्वेदी)
उपसचिव, भारत सरकार

सं. 1/1/2010-स्था.(वेतन-I) दिनांक 06.12.12

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. एनआईसी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध है कि वह इस कार्यालय ज्ञापन को इस विभाग की वेबसाइट पर "क्या नया है" तथा "स्थापना" के उप शीर्ष "वेतन" में भी अपलोड कर दें ।
3. 25 अतिरिक्त प्रतियाँ,